



झारखण्ड सरकार



हेलिकॉप्टर Joyride हेतु यात्रियों के लिए आवश्यक सुरक्षा हेतु प्रक्रियात्मक निदेश

सभी यात्रियों से अनुरोध है कि अपनी तथा अन्य यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करें।

1. हेलिकॉप्टर में बैठने एवं उतरने का कार्य केवल ग्राउंड स्टाफ (Ground Staff) के निर्देशानुसार करें। बिना अनुमति हेलिकॉप्टर की ओर न जाएँ।
2. हेलिकॉप्टर के मेन एवं टेल रोटर ब्लेड के पूर्णतः रुकने अथवा बिना ग्राउंड स्टाफ द्वारा प्राप्त संकेत के हेलिकॉप्टर के निकट नहीं जाए।
3. हेलिकॉप्टर के पास दौड़ें नहीं तथा सदैव झुककर (Duck Position) ही निर्धारित मार्ग से आवागमन करें।
4. ढीले कपड़े, लहराता दुपट्टा, टोपी, छाता अथवा अन्य हल्की वस्तुओं को सुरक्षित रखें ताकि वे हेलिकॉप्टर के रोटर ब्लेड की हवा में उड़े नहीं।
5. मोबाईल फोन का उपयोग केवल चालक दल अथवा ग्राउंड स्टाफ की अनुमति से करें। सेल्फी यो विडियो बनाने के लिए सीट से उठना या हेलिकॉप्टर का दरवाजा खोलने का प्रयास कभी नहीं करें।
6. सीट पर बैठते ही अपनी सीट बेल्ट ठीक प्रकार से ग्राउंड स्टाफ की सहायता से बाँध लें तथा उड़ान समाप्त होने तक उसे नहीं खोलें।
7. उड़ान भ्रमण के दौरान किसी भी परिस्थिति में हेलिकॉप्टर का दरवाजा, खिड़की या हेलिकॉप्टर के किसी भी नियंत्रक उपकरण को स्पर्श नहीं करें।
8. चालक दल द्वारा दिए गए सभी सुरक्षा निर्देशों का अक्षरशः पालन करें, किसी भी आपात स्थिति में शांत रहें और केवल चालक दल के निर्देशों का पालन करें।
9. नशे की अवस्था में, गंभीर रूप से अस्वस्थ अथवा सुरक्षा मानकों के अनुरूप न पाए जाने वाले व्यक्ति को यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी।
10. छोटे बच्चों के साथ यात्रा करने वाले अभिभावक उनकी सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेवारी निभाएँ तथा बच्चों को सीट से उठने न दें।
11. ज्वलनशील, विस्फोटक अथवा प्रतिबंधित सामग्री साथ ले जाना पूर्णतः प्रतिबंधित है।
12. प्रतिकूल मौसम, तकनीकी कारणों तथा प्रशासनिक निर्देशों के कारण उड़ान में विलम्ब, परिवर्तन अथवा निरस्तीकरण किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में ऑपरेटर का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

13. सभी यात्रियों को निर्धारित समय से कम से कम 30 मिनट पूर्व Reporting Centre पर उपस्थिति होकर पहचान पत्र का सत्यापन एवं सुरक्षा जाँच पूर्ण करनी होगी।
14. सभी यात्रियों का उड़ान से पहले Indemnity Bond/क्षतिपूर्ति बंधपत्र पढ़कर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है।
15. हेलिकॉप्टर संचालन के दौरान सुरक्षा सर्वोपरी है अतः किसी भी यात्री द्वारा सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने पर उसे यात्रा से वंचित किया जा सकता है।
16. यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार का Luggage हेलिकॉप्टर में ले जाने की अनुमति नहीं है।
17. हेलिकॉप्टर सेवा की सुविधा हेतु महत्वपूर्ण बिन्दु :-

एक बार में कम से कम 04 सीट की बुकिंग अनिवार्य होगी। 04 सीट की बुकिंग होने के उपरान्त ही हेलिकॉप्टर परिचालन की अनुमति प्रदान की जाएगी। उड़ान की अवधि प्रातः 10 बजे से सायं 5.30 बजे तक ही उपलब्ध रहेगी।

18. श्रावणी मेला देवघर एवं वासुकीनाथ हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अनुमोदित शुल्क :-

देवघर आकाशीय परिदर्शन	वासुकीनाथ आकाशीय परिदर्शन	देवघर से त्रिकूट परिदर्शन	देवघर से वासुकीनाथ एकतरफा
07 से 10 मिनट	07 से 10 मिनट	10 से 15 मिनट	एकतरफा उड़ान समय 15 मिनट
रु० 2,850.00	रु० 2,850.00	रु० 3,750.00	रु० 4,500.00

आपका सहयोग सुरक्षित, सुखद एवं सफल हेलिकॉप्टर Joyride के लिए अत्यंत आवश्यक है, धन्यवाद।

(कैप्टन एस0 पी0 सिन्हा)

निदेशक संचालन
मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग
(नागर विमानन प्रभाग),
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक : 703

/राँची दिनांक : 01/08/26

- प्रतिलिपि : 1. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव का कार्यालय, झारखण्ड सरकार/अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (नागर विमानन प्रभाग), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. उपायुक्त, देवघर/दुमका, पुलिस अधीक्षक, देवघर/दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक संचालन